न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ब्रह्म लाल जाट आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 177/2020 – निगरानी

1. भंवरलाल पुत्र हजारी जाट निवासी डसानिया का खेडा, सवाईपुर
2. शंकरलाल पुत्र किशन जाट निवासी डसानिया का खेडा
3. नारायण लाल पुत्र लक्ष्मण जाट निवासी डसानिया का खेडा
4. भैरू जाट पुत्र रामलाल जाट निवासी डसानिया का खेडा
5. शंकर जाट पुत्र छीतर जाट निवासी डसानिया का खेडा सवाईपुर तहसील कोटडी

–निगराकार

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह राजपूत निवासी डसानिया का खेडा सवाईपुर
2. श्रीमती बृजकंवर पत्नी विजय सिंह राजपूत निवासी डसानिया का खेडा सवाईपुर
3. ग्राम पंचायत सवाईपुर पं.सं. कोटडी तहसील कोटडी

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत सवाईपुर पत्रावली संख्या 12 संवत् 2035 दिनांक 07.05.1978 पटटा संख्या 26 दिनांक 15.12.1982

उपस्थित –

1. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. गैर निगराकार संख्या 1 व 02 के अधिवक्ता अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 27.09.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को ग्राम पंचायत डसानियों का खेडा द्वारा जो प्रश्नगत पटटा संख्या 26 रकबा 75 बाई 34 गज जिसके पडौस पूर्व में पडत आबादी, पश्चिम में पडत आबादी, उत्तर में पडत आबादी, दक्षिण में पडत आबादी, का जारी किया गया वह प्रारब्ध से ही विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय हैं। उक्त प्रश्नगत पटटे का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं। उक्त प्रश्नगत पटटे की जायदाद के चारों पडौसों को पडत दर्शाया हुआ हैं, जबकि किसी भी जायदाद का जो पटटा जारी किया जाता हैं, उसके लिए रास्ता अनिवार्य होता हैं। प्रश्नगत पटटे को जो क्षैत्रफल हैं, इतने बडे क्षैत्रफल का पटटा जारी करने को ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं हैं। उक्त पटटे की कोई पत्रावली कायम नही की गयी। न ही उक्त पटटा निलामी के जरिये दिया गया। गैर निगराकार संख्या 01 व 2 के पिता व पति व उनके पूर्वजों को कोई कब्जा मौके पर नहीं था व न ही हैं। उक्त प्रश्नगत पटटा ग्राम पंचायत द्वारा नियम 141 से 157 की पालना नहीं करके विधि विरूद्व जारी किया गया हैं जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त पटटे की जानकारी निगराकार

को जुलाई 2020 में हुयी जिससे पटटा जारी दिनांक से निगरानी पेश करने में हुयी देरी के समय को कण्डोन किये जाने बाबत् धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 01 व 02 के पक्ष में जारी पटटा संख्या 26 पत्रावली संख्या 12 संवत् 2035 दिनांक 15.12.1982 को निरस्त किया जावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता दिनांक 02.08.2022 से ही लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। दौराने बहस विपक्षी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रश्नगत पटटे का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं। उक्त प्रश्नगत पटटे की जायदाद के चारों पडौसों को पडत दर्शाया हुआ हैं, जबकि किसी भी जायदाद का जो पटटा जारी किया जाता हैं, उसके लिए रास्ता अनिवार्य होता हैं। प्रश्नगत पटटे को जो क्षैत्रफल हैं, इतने बडे क्षैत्रफल का पटटा जारी करने को ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं हैं। उक्त पटटे की कोई पत्रावली कायम नही की गयी। न ही उक्त पटटा निलामी के जरिये दिया गया। गैर निगराकार संख्या 01 व 2 के पिता व पति व उनके पूर्वजों को कोई कब्जा मौके पर नहीं था व न ही हैं। उक्त प्रश्नगत पटटा ग्राम पंचायत द्वारा नियम 141 से 157 की पालना नहीं करके विधि विरूद्व जारी किया गया हैं जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 01 व 02 के पक्ष में जारी पटटा संख्या 26 पत्रावली संख्या 12 संवत् 2035 दिनांक 15.12.1982 को निरस्त किया जावे।

विपक्षी संख्या 01 ने जवाब में अंकित किया कि निगराकार ने मिसल संख्या 12 संवत् 2035 में दिनांक 07.05.1998 को लिये गये निर्णय के विरूद्व निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है, जबकि आवेदन के साथ पंचायत के निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी हैं। वर्तमान निगरानी आवेदन अवधि बाधित लगभग 41 वर्ष के पश्चात् प्रस्तुत की गयी जो निगरानी निरस्त योग्य हैं। प्रश्नगत पटटा निगराकार द्वारा विधि विरूद्व कहा जाता हैं तो इसे साबित कराने का दायित्व प्रार्थी निगराकार का होता हैं। निगराकार ने निगरानी में अंकित किया कि प्रश्नगत पटटे में किस आराजी में पटटा जारी किया गया है? इसका कोई उल्लेख नहीं हैं। इस संबंध में यह है कि आबादी भूमि मे पटटे में आराजी

नम्बर का उल्लेख करना विधितः अपेक्षित नही होता हैं। निगराकार ने अंकन किया किया कि उक्त प्रश्नगत पटटा कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग से सटमा ग्राम पंचायत की अमूल्य आबादी भमि का पटटा जारी किया गया हैं। जबकि यहां यह तथ्य है कि तत्समय ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी करते समय अर्थात 41 वर्ष पूर्व कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिसूचित भी नही था, एवं न ही कथित राजमार्ग को कोई अस्तित्व था। प्रश्नगत पटटे को ग्राम पंचायत ने विधि अनुरूप जारी किया है जिस पर विपक्षी के पिता ने पक्का मकान का निर्माण कराया है। बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कराया हैं। प्रश्नगत पटटा जारी करते समय राजस्थान पंचायत अधिनियम 1959 प्रभावशील था जिसे अधिनियम 1994 द्वारा निरसित कर दिया गया है और ऐसी स्थिति में साधारण खण्ड अधिनियम के अनुसार ' जहां कि अधिनियम या इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाया गया कोई अधिनियम या विनियम अब तक बनायी गयी या एतत्पश्चात बनायी जाने वाली किसी अधिनियमित को निरसित कर देता हैं वहां जब तक भिन्न आशय प्रतीत न हो। निगरानी में वर्णित पटटा राजस्थान पंचायत 1959 के अन्तर्गत जारी पटटे को वर्तमान अधिनियम 1994 के अन्तर्गत निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। निवेदन हैं कि निगराकारी निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

प्रकरण में बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि निगराकार ने प्रश्नगत पटटे की फोटोप्रति प्रस्तुत की है जिसमें पटटाधारी भूखण्ड के चारों ओर के पडौस में पड़त आबादी दर्ज हैं। जबकि नियमानुसार भूखण्ड के एक तरफ रास्ता होना अनिवार्य हैं, ताकि पटटा भूखण्ड पर आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध हो सके।

पटटे के फोटोप्रति परीक्षण से जाहिर आया कि पटटे का क्षैत्रफल 34 गज बायी 75 गज अंकित हैं जो कुल 2550 वर्गगज होता है, जबकि ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियमों के तहत नियमानुसार 300 वर्गगज तक का पटटा जारी किये जाने का क्षैत्राधिकार होता हैं।

पत्रावली अवलोकन से जाहिर होता हैं कि ग्राम पंचायत ने अवगत कराया कि प्रश्नगत पटटे से संबंधित पत्रावली व पत्रावली का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं एवं न ही कोई दस्तावेजात ग्राम पंचायत रिकार्ड में उपलब्ध हैं। जिससे यह परीक्षण किये जाने में अवरोध होता हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित प्रावधानों की पालना की गयी हैं या नहीं? लेकिन न्याय सिद्वान्तों के अनुसरण में जो अभिलेख प्रस्तुत हैं उसके आधार पर परीक्षण कर विनिश्चय दिया जाना उपर्युक्त प्रतीत होता हैं। विपक्षी जिनके पक्ष में पटटा

अति. जिला कलक्टर

जारी हुआ हैं उनकी ओर से प्रश्नगत पटटे के संबंध में कोई दस्तावेजात व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। यदि उनके द्वारा ग्राम पंचायत से विधि के अन्तर्गत कार्यवाही संधारित करायी गयी होती तो, निश्चित रूप से उनके पास पत्रावली जमा कराने की रसीद, उचित न्याय/नक्शा तैयारी फीस की रसीद, विक्रय मूल्य की जमा रसीद भी उनके पास होती, लेकिन ऐसी कोई रसीद/आज्ञा उनके द्वारा रिकार्ड पर प्रस्तुत नही किया गया।

ग्राम पंचायत के लिये भूखण्ड विक्रय किये जाने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 142 से 153 के नियमों की पालना की जाना आवश्यक होता हैं, किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजात रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा नीलामी के समय बाजार मूल्य का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक होता हैं, क्योंकि बाजार मूल्य से कम मूल्य पर भूखण्ड का विक्रय नहीं किया जा सकता हैं। जबकि इस प्रकरण में ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय राजमार्ग से सटमा प्रश्नगत पटटा भूखण्ड 2550 वर्गगज मात्र 200/—रू. में विपक्षी संख्या 01 को दिया गया हैं, जो विधिक रूप से दोषपूर्ण हैं। इस मामले में पंचायत कोष को भी राजस्व हानि हुयी हैं। इस लिहाज से भी ग्राम पंचायत द्वारा इस मामले में की गयी कार्यवाही विश्वसनीय नहीं ठहरायी जा सकती हैं। विपक्षी संख्या 01 द्वारा भी ऐसा कोई सर्वमान्य आधारभूत दस्तावेजात /रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कराया गया है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा की गयी कार्यवाही को विधितः ठहरायी जा सकती हो।

उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव —

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत सवाईपुर जिला भीलवाडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा